



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052025-263263
CG-DL-E-21052025-263263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2206]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2025/वैशाख 30, 1947

No. 2206]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2025/VAISAKHA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2025

का.आ. 2260(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S.O. 1292(E). तारीख 19/03/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH753J के कि.मी. 125.350 से कि.मी.126.850 तक के पिंपरखेड में रेल्वे उड्डाणपुल के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28/03/2025 " को "महाराष्ट्र टाईम्स (मराठी)" और "देशदूत टाईम्स (इंग्रजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH753J के कि.मी. 125.350 से कि.मी.126.850 तक के पिंपरखेड में रेल्वे उड्डाणपुल के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नासिक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नांदगाव					
गांव का नाम: परधाडी					
1	345	निजी	शुष्क	0.3141	आण्णा भिमाजी शिंदे, कारभारी भिमाजी शिंदे, धनंजय बाजीराव पवार, शांताबाई युवराज गायकवाड, रणजीत पंजाबराव पवार, सुजाता पंजाबराव पवार, स्वाती प्रशांत चव्हाण, वंदना पंजाबराव पवार, संदीप शिवाजी पवार, शीतल शिवाजी पवार, सुनिता शिवाजी पवार, अर्चना संदीप पवार, संध्या धनंजय पवार, विश्राम

					मोतराम बच्छाव. इतर अधिकार परधाडी वि.का.सेवा सह.सो., स्टेशन नांदगांव वि. का. सेवा. सह. सोसायटी, एच.डी.एफ.सी बँक शाखा चाळीसगाव.
2	346	निजी	शुष्क	0.0249	परिघाबाई भिकनराव मवाळ, सतीश भिकनराव मावळ अ.पा.क.परिघाबाई, कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन विभाग मालेगाव, आवासाहेब भिकनराव मावळ अ.पा.क. परीघाबाई, इतर अधिकार परधाडी वि.का.सेवा सह.सो., पिंपरखेड वि.का.स.सो., बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा न्यायडोंगरी.
गांव का नाम: पिंपरखेडे					
3	40	निजी	शुष्क	0.1168	वाल्मिक यादव म्हस्के, बाळासाहेब यादव म्हस्के, नंदकुमार नथुजी देशमुख, भैय्यासाहेब नथुजी देशमुख, इतर अधिकार वि.का.स.सो. पिंपरखेड, बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा न्यायडोंगरी.
Total				0.4558	

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/01/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th May, 2025

S.O. 2260(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 1292(E). Dated:19/03/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of ROB at Pimparkhed KM 125/350 to 126/850 on NH – 753 J in the district of Nashik in the State of Maharashtra

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Maharashtra Times (Marathi)*” and “*Deshdoot Times (English)*” both **dated 28/03/2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land acquisition for Construction of ROB at Pimparkhed KM 125/350 to 126/850 on NH – 753 J in the district of Nashik in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: NASHIK		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nandgaon					
Village: Pardhadi					
1	345	Private	Dry	0.3141	Anna Bhimaji Shinde, Karbhari Bhimaji Shinde, Dhananjay Bajirao Pawar, Shantabai Yuvraj Gaikwad, Ranjit Punjabrao Pawar, Sujata Punjabrao Pawar, Swati Prashant Chavan, Vandana Punjabrao Pawar, Sandeep Shivaji Pawar, Sheetal Shivaji Pawar, Sunita Shivaji Pawar, Archana Sandeep Pawar, Sandhya Dhananjay

					Pawar, Vishram Motiram Bachao. Other Rights - Pardhadi Vi, Ka, Seva, Sah. So., Station Nandgaon Vi. Ka. Seva Sah. Society, HDFC Bank Br. Chalisgaon.
2	346	Private	Dry	0.0249	Parighabai Bhikanrao Maval, Satish Bhikanrao Maval APK Parighabai, Executive Engineer Small Irrigation Department Malegaon, Abasaheb Bhikanrao Maval A.P.K. Parighabai, Other Rights Pardhadi Vi, Ka, Seva, Sah. So., Pimparkhed Vi, Ka, Sa, So., Bank of Maharashtra Br. Nyaydongari
Village: Pimperkhed					
3	40	Private	Dry	0.1168	Valmik Yadav Mhaske, Balasaheb Yadav Mhaske, Nandkumar Nathuji Deshmukh, Bhaiyasaheb Nathuji Deshmukh, Other Rights. Vi. Ka. Sa. So. Pimparkhed., Bank of Maharashtra Branch Nyaydongri.
Total				0.4558	

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/01/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director